न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील स0 :– 32/2009

(223 आर.टी.एक्ट)

उनवान

1. गिर्राज कौर बेवा बिहारी जाट निवासी बीजला तहसील कठूमर – मृतक
2. किशन पुत्र बिहारी जाट निवासी बीजला तहसील कठूमर – मृतक
   2/1. रामकिशोर,
   2/2. धर्मपाल,
   2/3. रामजीत पुत्रान किशन जाट निवासी बीजला तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 ।
3. शिवराम पुत्र बिहारी जाट निवासी बीजला तहसील कठूमर जिला अलवर राज0–मृतक
   3/1. रामवती बेवा शिवराम,
   3/2. उदयसिंह,
   3/3. तेजसिंह,
   3/4. चरणसिंह पुत्रान श्री शिवराम जाति जाट निवासी बीजला तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 ।
4. सूरजमल पुत्र बिहारी जाति जाट निवासी बीजला तहसील कठूमर,
5. हरबीर पुत्र बिहारी जाति जाट निवासी बीजला तहसील कठूमर,
6. मु0 लीलावती पुत्री बिहारी जाति जाट निवासी बीजला तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 – मृतक
   6/1. राजेन्द्र पुत्र लीलावती,
   6/2. विजयपाल पुत्र लीलावती,
   6/3. शिवपाल पुत्र लीलावती,
   6/4. सुरेन्द्र पुत्र लीलावती जाति जाट निवासी बीजला तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 ।
7. मु0 केशम पुत्री बिहारी जाति जाट निवासी बीजला तहसील कठूमर,
8. मु0 सियावती पुत्री बिहारी जाति जाट निवासी बीजला तहसील कठूमर,
9. छिन्दी पुत्र परसादी जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर वारिस काबिज जायदाद परसादी मृतक पिता खुद ।
10. जोरा पुत्र झूंथर जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर -- मृतक
    10/1. धन्ना पुत्र जोरावर उर्फ जोरा जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर,
    10/2. गोपाल पुत्र जोरावत उर्फ जोरा जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर

23/8/18

11. महीलाल पुत्र घूघर जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर – मृतक
12. प्रहलाद पत्र रतन जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर ।
13. बिजेन्द्र पुत्र रतन जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर ।
14. देवीराम पुत्र रतन जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर ।
15. मु0 चन्द्रा पुत्री रतन जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर – मृतक
15 / 1. विजयसिंह पुत्र चन्द्रा,
15 / 2. बाबू पुत्र चन्द्रा जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 ।
16. मु0 मुथरी पुत्री रतन जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर ।
17. मु0 सुगना पुत्री रतन जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर स्वयं एवं बहैसियत वारिसान काबिजान जायदाद मु0 हरीबाई बेवा मृतक,
18. भूल्लनसिंह पुत्र किशनलाल पौत्र हुकम मृतक जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 ।
19. बस्तीराम पुत्र हुकम जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर ।
20. रामकिशन पुत्र हुकम जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर ।
21. जगदीश पुत्र हुकम जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर वारिसान काबिज जायदाद हुकमचन्द पुत्र समुन्द्र मृतक नं0 18 ल0 21
22. बृजलाल पुत्र समुन्द्र जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर – मृतक
22 / 1. रामचरण पुत्र बृजलाल,
22 / 2. जोगेन्द्र पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 ।
23. जुगला पुत्र समुन्द्र जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर – मृतक
23 / 1. रामावतार,
23 / 2. देशोसिंह,
23 / 3. महाराजसिंह पुत्रान जुगला पुत्र समुन्द्र जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 ।
24. अजीराम पुत्र कंचन जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर ।
25. सोहनलाल पुत्र कंचन जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर – मृतक
25 / 1. हाकिमसिंह पुत्र सोहनलाल,
25 / 2. कालू पुत्र सोहनलाल,
25 / 3. केला पुत्री सोहनलाल,
25 / 4. शीलादेवी पुत्री सोहनलाल जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर वारिसान काबिज जायदाद कंचन पुत्र हल्लन जाति जाट मृतक पिता खुद ।
26. भूपराम पुत्र सांवलिया जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर ।
27. फतेहसिंह पुत्र सांवलिया जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर ।
28. गोबिन्द्रसिंह पुत्र सांवलिया जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर ।
29. ग्यासीराम पुत्र सांवलिया जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर ।
30. मोती पुत्र सांवलिया जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर – मृतक

 23/8/18

30/1. कलावती बेवा मोती,
30/2. सतीश चन्द पुत्र मोती,
30/3. पिंकू कुमार पुत्र मोती जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 ।

31. ओमप्रकाश पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर ।
32. रणवीरसिंह पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर ।
33. रामवती बेवा रामस्वरूप जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर जिला अलवर वारिसान काबिज जायदाद मृतक रामस्वरूप पुत्र हल्लन जाति जाट पिता/पति खुद ।

.... अपीलांट्स/प्रतिवादीगण

बनाम

1. हिम्मत पुत्र गुरगर जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर – मृतक
1/1. लिक्खी बेवा हिम्मत,
1/2. धकेली,
1/3. गोला पुत्रीयान हिम्मत,
1/4. नवाब पुत्र भगवानसिंह पौत्र हिम्मत,
1/5. ईश्वर पुत्र भगवानसिंह पौत्र हिम्मत,
1/6. लाला पुत्र भगवानसिंह पौत्र हिम्मत,
1/7. रारती बेवा भगवानसिंह पुत्रवधू हिम्मत,
1/8. पप्पू,
1/9. सोमी पुत्रान जसवन्त पौत्रान भगवानसिंह प्रपोत्र हिम्मत,
1/10. मुन्नी पुत्री जसवन्त पौत्रान भगवानसिंह प्रपोत्र हिम्मत,
1/11. कला बेवा जसवन्त पौत्रवधू भगवानसिंह प्रपोत्र वधू हिम्मत जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 ।

2. जावत्री पुत्री सुक्खा स्त्री बिद्या जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर वारिस काबिज जायदाद सुक्खा पुत्र कन्हैया मृतक पिता खुद ।
3. बदन पुत्र राजाराम जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर ।
4. सुग्गड पुत्र राजाराम जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर ।
5. मुथरी पुत्री राजाराम जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर वारिसान काबिजान जायदाद राजाराम पुत्र कन्हैया मृतक पिता खुद ।
6. कन्नी पुत्र कन्हैया जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर,
7. रामजीलाल पुत्र कन्हैया जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तसहील कठूमर जिला अलवर राज0 – मृतक
7/1. प्रभू,
7/2. आशाराम पुत्रान स्व0 श्री रामजीलाल जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 ।

 23/8/18

7/3. राजवती उर्फ बीवी पुत्री स्व0 श्री रामजीलाल जाति जाट निवासी ग्राम तालपुरा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर राज0 ।

8. नत्थी पुत्र रमली जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर – मृतक
8/1. पप्पू,
8/2. चैंटा पुत्रान श्री नत्थी जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 ।

9. शिब्बो पुत्र रमली जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर – मृतक
9/1. ओमवीर,
9/2. सज्जू,
9/3. छोटू पुत्रान शिब्बो जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर जिला अलवर ।

10. मु0 गिर्राजी पुत्री रमली जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर जिला अलवर वारिसान काबिज जायदाद रमली मृतक ।

11. मु0 खिलिया पुत्री कन्हैया जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर – मृतक
11/1. प्रिभो पुत्र खिलिया,
11/2. हरदेई पुत्री खिलिया,
11/3. देशराज पुत्र खिलिया जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 ।

12. हरभजन पुत्र रामखिलाड़ी जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर ।

13. नेतराम पुत्र रामखिलाड़ी जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर – मृतक

14. बोलासिंह पुत्र रामखिलाड़ी जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर ।

15. बघेर पुत्र रामखिलाड़ी जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर ।

16. मु0 बसन्ती बेवा रामखिलाड़ी जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर मृतक वारिसान काबिज जायदाद रामखिलाड़ी पुत्र गिरधर मृतक ।

17. ननवा पुत्र रामदयाल जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर ।

18. रघुवीर पुत्र रामदयाल जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर ।

19. मोहनसिंह पुत्र रामदयाल जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर वारिसान काबिज जायदाद रामदयाल पुत्र गिरधर मृतक एवं प्यारेलाल मृतक ।

20. सुगनी पुत्र गिरधर जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर – मृतक
20/1. कश्मीरा पुत्री सुगनी,
20/2. विसराम पुत्र सुगनी,
20/3. बनवारी पुत्र सुंगनी – मृतक
20/4. रामेश्वर पुत्र सुगनी जाति जाट निवास ग्राम बीजला तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 ।

21. मोमा स्त्री प्यारेलाल जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर वारिस काबिज जायदाद प्यारेलाल पति मृतक खुद ।

22. साहबसिंह पुत्र गुलजारी जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर ।

23. जवाहरसिंह पुत्र गुलजारी जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर – मृतक

23/1. अंगूरी बेवा जवाहरसिंह,
23/2. देशराज,
23/3. देबो पुत्रान जवाहरसिंह जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 ।

24. समेसिंह पुत्र गुलजारी जाति जाट निवासी ग्राम बीजवा तहसील कठूमर वारिसान काबिज जायदाद गुलजारी पुत्र निर्भर जाति जाट मृतक पिता खुद ।
25. शेरसिंह पुत्र गंगा जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर ।
26. बिज्जो पुत्र गंगा जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर ।
27. मानसिंह पुत्र गंगा जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर ।
28. मु0 रामपति पुत्री गंगा जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर ।
29. खेमचन्द पुत्र शिम्भू पौत्र गंगा जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर ।
30. दुलारी बेवा शिम्भू जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर ।
31. पप्पू पुत्र शिम्भू नाबालिग बसरपरस्ती दुलारी माता खुद वारिसान काबिज जायदाद गंगा पुत्र राधे जाट मृतक ।
32. दयाराम पुत्र अतरी जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर ।
33. परशराम पुत्र अतरी जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर ।
34. भगवानसिंह पुत्र अतरी जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर ।
35. भीमा पुत्र अतरी जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर – मृतक

35/1. लज्जावती बेवा भीमर,
35/2. हरेन्द्र पुत्र भीमा जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 ।

36. लालमती विधवा अतरी जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर जिला अलवर मृतक वारिसान काबिज जायदाद अतरी पुत्र छज्जू जाति जाट ।
37. दोजी पुत्र जगनी जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर ।
38. जगदीश पुत्र जगनी जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर ।
39. होरीलाल पुत्र जगनी जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर ।
40. मु. रूपा बेवा जगनी जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर – मृतक
41. इलायची पुत्री जगनी जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर ।
42. मेहन्दी पुत्री जगनी जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर वारिस ाबिज जायदाद जगनी पुत्र छज्जू मृतक ।
43. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश अलवर ।
44. तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0 ।
45. रामस्वरूप पुत्र कुन्दन जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर – मृतक

45/1. हरप्यारी बेवा रामस्वरूप,
45/2. प्रेमसिंह,
45/3. खेमसिंह,
45/4. फूलसिंह पुत्रान रामस्वरूप जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 ।

46. राजपाल पुत्र कुन्दन जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर – मृतक वारिस
46/1. चरणसिंह पुत्र राजपाल,
46/2. राजवीरसिंह पुत्र राजपाल,
46/3. नैनसिंह पुत्र राजपाल,
46/4. हरबती पुत्री राजपाल,
46/5. पून्या पुत्री राजपाल,
46/6. भग्गो पुत्री राजपाल,
46/7. सुनिता पुत्री राजपाल,
46/8. प्रभाती बेवा राजपाल जाति जाटान निवासी ग्राम बीजवा तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 ।

.... वादीगण/ रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री विजयसिंह राठौड़ अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री मूलचन्द चौधरी अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–23.08.2018

यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर, राजगढ़ मुकाम कठूमर के निर्णय व डिक्री दिनांक 8.4.1994 व संशोधित पर्चा डिक्री दि0 30.10.2001 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद इस्तकरारहक, तकासमा व हुक्मईम्तनाई दंवामी इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी ख0 नं0 हाल 1378 रकबा 13 बीघा 11 बिस्वा जिसके साबिक ख0 नं0 247 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा एवं 247/1 मिन रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम बीजला तन सिटाहेडा तहसील लक्ष्मणगढ़ में स्थित है । इस आराजी में 2/3 हिस्सा वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादी 27, 28 तथा 1/3 हिस्सा असल प्रतिवादीगण का है । वादी नं0 1 का 1/3 हिस्सा, वादी सं0 2–7 का 1/6 हिस्सा, वादी सं0 8–15 का 1/18 हिस्सा व वादी सं0 16–18 का 1/18 हिस्सा तथा तरतीबी प्रतिवादी सं0 27–28 का 1/18 हिस्सा तथा इसी प्रकार प्रतिवादीगण का 1/3 हिस्सा इस प्रकार है – प्रतिवादी सं0 3–10 का 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 11 का 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 12 का 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 13 का 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 14–20 का 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 21 का 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 22 का 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 23 का 1/36 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 24–26 का 1/9 हिस्सा है । वादीगण एवं प्रतिवादीगण राजस्थान टिनेन्सी एक्ट लागू होने के पूर्व से आराजी पर अपने हिस्सानुसार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे थे लेकिन बन्दोबस्त विभाग ने विवादित आराजी को सिवायचक चारागाह अंकित कर दिया जबकि विवादित आराजी कभी भी सिवायचक चारागाह नहीं रही है । अतः बन्दोबस्त विभाग का इन्द्राज कानूनन बातिल व

बेअसर है । नायब तहसीलदार कठूमर ने धारा 91 एल.आर.एट के तहतं कार्यवाही शुरू की लेकिन वादीगण व प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार मानकर बन्द कर दी तथा नायब तहसीलदार के आदेश के तंहत सम्वत् 2016–25 के बीच का लगान वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने अपने हिस्सानुसार जमा कराया तथा साथ ही पैनल्टी भी जमा करवायी जिसके कारण हमें विवादित आराजी का हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार माना जाना चाहिए लेकिन तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ द्वारां 7.3.1973 को धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही शुरू कर दी तथा प्रतिवादी 3–26 से साजबाज होकर उनके हक में फैसला दे दिया तथा ए. डी.एम. के पास अपील की जो प्रतिप्रेषित की गई तंथा राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर ने तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ के निर्णय को निरस्त कर तथा नायब तहसीलदार कठूमर के दिनांक 15.6.88 के निर्णय को बहाल रखा फिर प्रतिवादी 3–26 ने पटवारी हल्का से रिपोर्ट मंगवाकर अपने पक्ष में दि0 14.4.1985 को रेगुलाईज करवा लिया तथा उसका इन्तकाल भी दि0 20.4.1985 को तस्दीक हो गया जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के यहां की गई जो अभी विचाराधीन है जो नियमितीकरण खिलाफ कानून एवं खिलाफ मौका है तथा वादी के हितों के खिलाफ बातिल व बेअसर है क्योंकि उक्त नियमितिकरण इन्द्राज लम्बित वाद हुआ है तथा धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही पहले ही बातिल व बेअसर करार दी जा चुकी है । इसलिए उपर्युक्त हिस्सानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ का आदेश दि0 17.04.1985 व इन्तकाल नं0 500 को अवैद्य करार दिया जावें एवं हिस्सानुसार वादीगण का 2/3 हिस्सा तकसीम कर मुताबिक उद्घोषणा के दखल दिलाया जावें तथा प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावें । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों के अभिभाषकगण की बहस सुनकर दि0 08.04.1994 को वादी का वाद डिक्री कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दि0 08.04.1994 एवं संशोधित पर्चा डिक्री दि0 30.10.2001 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि तहत न्यायालय ने मृतकों के विरूद्ध दावा वादी डिक्री किया है जो कानूनन गलत है । अपीलांट के खिलाफ तहत न्यायालय ने एक पक्षीय कार्यवाही की है । तहत न्यायालय ने दावे में कोई तनकीयात आदि नहीं बनाये हैं जबकि दावा घोषणा व तकासमा का था जिसमें तनकीयात आवश्यक थी । हमने अपील के पैज सं0 5 में मृतकों के नाम लिखें है तथा उन्हें ही पक्षकार बनाया है । अपील में स्थगन भी हुआ था फिर भी तहत न्यायालय ने अपने निर्णय में संशोधन कर दिया जिस बिन्दू को हमने अपील में लिया है । सरकार ने जवाब पेश किया है उस पर भी तनकीयात कायम की जानी चाहिए थी । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है तथा प्रकरण तहत न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया । उन्होंने अपने समर्थन में आर.बी.जे. 2014 पेज 671, 721, आर.बी.जे. 2015 पेज 55 पेश किये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने जवाब बहस में बताया कि विवादित आराजी अपीलांट व रेस्पो0 की खातेदारी का था । बन्दोबस्त ने चारागाह बना दिया जबकि काश्त पहले से ही थी । अपीलांट ने पटवारी से मिलकर धारा 91 की कार्यवाही करवायी और उसके आधार पर नियमितीकरण का प्रार्थना पत्र पेश किया । सरकार ने गलत रिपोर्ट के आधार पर आवंटन किया जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के यहां दि0 4.1.88 को निरस्त कर दी । राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय ने क़ब्जा दोनों पक्षों का माना है । उक्त आदेश की अपील माननीय राजस्व मण्डल में की जिसका निर्णय दि0 15.1.1995 को हुआ जिसमें राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर का निर्णय यथावत रखा । अपीलांट ने दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें वादी हिम्मत को 1/3 या सभी वादी 2/3 हिस्से के थे तथा प्रतिवादी 3–29 का 1/3 हिस्सा था । आवंटन में जो तथ्य थे वहीं जवाब में था । वादी ने दस्तावेज पेश किये तथा मौखिक साक्ष्य भी पेश की । दि0 11.6.1993 को अपीलांट की एकपक्षीय हुई तथा उसे अपीलांट ने सैटअसाइड़ नहीं करवाया । मृतक व्यक्ति को पक्षकार नहीं बनाया । अपीलांट ने मृतकों की तिथि नहीं बतायी जिसे पैरा सं0 5 में नहीं लिया । तहत न्यायालय ने विधिसम्मत एवं कानून सम्मत मैरिट पर निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है और अपीलांट की अपील खारिज योग्य है ।

इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री उचित है । अतः अपील अपीलांट खारिज करने का निवेदन किया ।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं तहत पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । उपलब्ध रेकार्ड का भी अवलोकन किया । निर्णय के साथ अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा कानूनी नजीरों का भी ससम्मान अवलोकन किया ।

अपीलांट अभिभाषक ने बहस में मुख्य बिन्दू यह लिये हैं कि अपीलांट/प्रतिवादी के विरूद्ध तहत न्यायालय ने एकपक्षीय कार्यवाही की है तथा एकपक्षीय डिक्री पारित की । साथ ही कहा है कि वक्त निर्णय से पूर्व ही कुछ प्रतिवादीगण फ़ौत हो गये । मृतकों के विरूद्ध डिक्री पारित की है । प्रतिवादी सं0 11, 24, 26 एवं वादी सं0 2 निर्णय से 5–6 वर्ष पूर्व ही फौत हो गये हैं ।

अपील का दूसरा बिन्दू ये भी है कि दावा और जवाब दावा के आधार पर पत्रावली में तनकीयात कायम कर दी परन्तु तनकीयात के आधार पर निर्णय पारित नहीं किया है । यह भी बिन्दू है कि अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का कोई अवसर नहीं दिया गया । विवादित आराजी पहले अपीलांट को जरिये नियमितीकरण से खातेदारी में प्राप्त हो गयी थी ।

रेस्पे0/वादी की दलील है कि विवादित आराजी पर राजस्थान टिनेन्सी एक्ट लागू होने के समय से ही उनका कब्जा काश्त है । प्रतिवादी/अपीलांट जानबूझकर तहत न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए । इसलिए इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होना बताया ।

उपरोक्त विवेचन से अपील में यह पाया जाता है कि तहत न्यायालय द्वारा जब निर्णय पारित किया गया था तब वादी सं0 2 व प्रतिवादी सं0 11, 24 व 26 फौत हो चुके थे तथा उनके वारिसान को रेकार्ड पर नहीं लिया गया था । इस बिन्दु पर तहत न्यायालय ने गौर नहीं किया । अतः कानूनी नजीर आर.बी.जे. 2014 पेज 721 के अनुसार मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध पारित डिक्री/निर्णय को निरस्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु भिजवाया जाना

चाहिए । साथ ही तहत न्यायालय द्वारा तनकीवार निर्णय भी पारित नहीं किया गया है जबकि सरकार की ओर से जवाब भी पेश किया गया है । तृतीय बिन्दु यह भी है कि मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध पारित निर्णय व तनकीयात वार निर्णय नहीं होने के साथ ही अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का भी मौका नहीं दिया गया है । न्यायहित मं यह आवश्यक है कि जब मृतकों के विरूद्ध डिक्री जारी की है तो अपील में अपीलांट की इस्तदुआ को स्वीकार किया जाना उचित है । अतः अपील अपीलांट काबिल स्वीकार योग्य है । अतः कानूनी नजीर आर.बी.जे. 2014 पेज 671 व आर.बी.जे. 2015 पेज 55 के अनुसार प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है ।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, राजगढ़ मुकाम कठूमर के निर्णय व डिक्री दिनांक 8.4.1994 व संशोधित पर्चा डिक्री दि0 30.10.2001 निरस्त की जाती है तथा प्रकरण विद्वान उपखण्ड अधिकारी कठूमर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित कियां जाता है कि विवादित आराजी के रेकार्ड में दर्ज सभी सह खातेदार एवं पूर्व में मृतकों के वारिसान को रेकार्ड पर लेकर तनकीयात के आधार पर साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देकंर पुनः गुणावगुण पर उसे 6 माह की अवधि में आवश्यक रूप से निर्णय पारित करें । सभी अपीलांट व सभी रेस्पो0 को आदेश है कि वे तहत न्यायालय में दिनांक 27.09.2018 को स्वयं या जरिये अभिभाषक आवश्यक रूप से उपस्थित होवें । खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करें ।

पक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि वे तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर में वास्ते सुनवाई हेतु दि0 26.09.2018 को उपस्थित हो ।

निर्णय आज दिनांक 23.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

23/8/18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर